न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म. प्र.

540
09.9.14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-3382-III/14 Rs. 20/-

1- मनभरत प्रसाद

2- लाला जी

3- सुदामा प्रसाद - सभी पुत्र गण राममिलन पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम भीठा, तहसील गुढ़,
जिला - रीवा म. प्र. —— निगरानीकर्ता गण

श्री नरेन्द्र पाठक द्वारा आज 09.9.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम.

क्रमांक 3082 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- धीरमणि पिता भैयालाल, ब्राम्हण

2- कमलभान पिता रामप्रताप पटेल

दोनो निवासी ग्राम भीठा, तह. गुढ़, जिला रीवा म. प्र.
—— गैर निगरानीकर्तागण

पुनर्निरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधीकारी महोदय तहसील गुढ़ - जिला - रीवा (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.14 राजस्व प्रकरण क्रमांक 46 / अ-6 /2003-04

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा - 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय

क्र -2

XXXIX(a)-BR(H)-11

आवेदक अभि० चितेन्द्र पाठक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3382/III/14 जिला रीवा

मनमूरत प्रसाद / गौरमाती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.15	प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अभि० श्री चितेन्द्र पाठक को तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद पुकार आवेदक एवं आवेदक अभि० अनुपस्थित रहे। प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अभि० रखना उपरांत भी दिनांक 17-4-15 से लगातार अनुपस्थित हैं जिससे ऐसा विदित हो रहा है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है। प्रकरण के साथ संलग्न अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला रीवा के द्वारा जारी निगरानी मेमो के साथ संलग्न आदेश दिनांक-14-7-2014 की सत्यापित प्रति का भी अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार भी प्रकरण में अंतिम आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित न कर मात्र म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत हुआ है। प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने से उभयपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा पूरा अवसर भी प्राप्त है ऐसी दशा में अनु० अधिकारी गुढ़ के आदेश दिनांक-14-7-2014 से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक-46/अ-6/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 14-7-14 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय अंतिम तर्क के दौरान	

[कृ. प. उ.

R. 3382-पी/14 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/8/15	अपना-अपना पक्ष रखें। यहाँ आवेदक के अनेकों सूचना उपरान्त भी लम्बे समय से सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाये जाने में कोई रुचि नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	